राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

एफ.3( )पोषा/दरो की त्रै.मा.समी./ICDS/2009/19757-779 जयपुर, दिनांक 5-3-14

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :— विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये जा रहे बेबी मिक्स पोषाहार एवं गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचड़ी) तथा नाश्ता की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर आयुवर्ग 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों, गर्भवती/धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को आर.टी.ई. पूरक पोषाहार बेबी मिक्स एवं आयुवर्ग 3 से 6 वर्ष के बच्चों को गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी) एवं नाश्ता उपलब्ध करवाया जा रहा है।

विभाग को विभिन्न बाल विकास परियोजना अधिकारियों/उप निदेशकों से पूरक पोषाहार में प्रयुक्त होने वाली खाद्य सामग्री की बाजार दरों में वृद्धि के कारण पूरक पोषाहार की दरों को संशोधित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। भारत सरकार के पत्र कमांक–1–8/2012/CD.–1 दिनांक 22.10.2012 एवं दिनांक 17.01.2014 द्वारा पूरक पोषाहार की दरों में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप विभाग द्वारा दरों के सम्बन्ध में पूर्व में जारी विभागीय आदेश कमांक एफ.4 (1)( )पोषा/S.H.G./ICDS/2009/45943–46293 दिनांक 29.06.2010 द्वारा निर्धारित दरों में संशोधन करते हुए आर.टी.ई. पूरक पोषाहार बेबी मिक्स एवं गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी) एवं नाश्ता की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क.सं	पूरक पोषाहार का नाम	दर
1	बेबी मिक्स	रू. 45/– प्रति किलोग्राम
2	गरम पूरक पोषाहार (दलिया/खिचडी)	रू. 03.50 प्रति लाभान्वित प्रतिदिन
3	नाश्ता	रू. 02.50 प्रति लाभान्वित प्रतिदिन

पूरक पोषाहार की रेसीपी एवं वितरण की मात्रा के सम्बन्ध में विभागीय आदेश कमांक एफ.4(1( ) पोषा/S.H.G./ICDS/2009/45943–46293 दि.–29.06.2010 एवं गरम पूरक पोषाहार एवं विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे। **उक्त संशोधित दरें दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से प्रभावी होगी**। यह आदेश वित्त (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या–101400598 दि. 13.02.2014 के अनुसरण में जारी किया गया है।

(अरूण कुमार गुप्ता)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर

एफ.3( )पोषा/दरो की त्रै.मा.समी./ICDS/2009/ 197 जयपुर, दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 संयुक्त सचिव (V.S.) मुख्यमंत्री कार्यालय, राज. जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राज. जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राज. जयपुर।
4 निजी सहायक, निदेशक, महिला अधिकारिता, राज. जयपुर।
6 निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
7 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद............................... ।.
9 समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
10 बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
11 प्रोग्रामर, कम्प्यूटर प्रशाखा को बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(आर.एस.मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)
समेकित बाल विकास सेवाएं
राज. जयपुर